

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक...../2022

संख्या-10/क्षेत्रा-08-(लि0सं0नि0)-35/2017,सा0प्र0...../भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
3. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011 के नियम-3 के बाद अन्तर्वेशन-उक्त नियमावली के नियम-3 के बाद 3 (i) के रूप में निम्नवत् अन्तर्विष्ट किया जाता है :-

क्र०	कोटि का नाम	स्तर	प्रतिशत
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	60%
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	25%
3	प्रधान लिपिक	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	10%
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	05%

उपर्युक्त पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा। "

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या-10/क्षेत्रा-08-(लि0सं0नि0)-35/2017,सा0प्र0...../पटना-15,दिनांक-...../2022
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु सी०डी० के साथ प्रेषित।

ह0/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

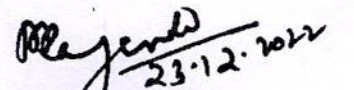
संख्या-10/क्षेत्रा-08-(लि0सं0नि0)-35/2017,सा0प्र0...../पटना-15,दिनांक-...../2022
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

संख्या-10/क्षेत्रा-08-(लि0सं0नि0)-35/2017,सा0प्र0²³⁵⁰¹/पटना-15,दिनांक-30/12/2022
प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23.12.2022

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।